

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम),  
मध्यप्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर**

**अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र**

1. अखिल भारत यात्रा ब्लॉक वर्ष-
2. गृहनगर हेतु ब्लॉक वर्ष-

1. आवेदक का नाम -
2. पदनाम -
3. स्थाई क्रमांक व नियुक्ति दिनांक -
4. मूल वेतन -
5. स्थाई, अस्थाई या स्थाईवत् -
6. गृहनगर के लिए दो वर्षीय अवकाश यात्रा रियायत की स्थिति में -

गृहनगर का नाम	पिछला ब्लॉक	यह ब्लॉक वर्ष	प्रस्तावित यात्रा

7. भारत किसी भी स्थान की यात्रा के लिए चार वर्षीय ब्लॉक वर्ष हेतु:-

यात्रा के लिए या यात्रा किए गये स्थान की घोषणा	पिछला ब्लॉक वर्ष जिसका लाभ लिया गया	क्या परिवार के साथ/अलग समूहों में यात्रा की जाती	यात्रा पर अवकाश का प्रकार	यात्रा पर जाने की अवधि

8. इसके साथ परिवार का विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में देवें।
  9. क्या वापसी यात्रा दिन के अंदर पूर्ण किये जाने की संभावना है।
  10. अनुमानित किराया.....प्रस्थान.....यात्रा वापसी.....
- (क) रेल यात्रा-
- (ख) बस या सड़क यात्रा माईलेज है यदि नहीं तो सड़क माईलेज की दरों पर राशि-
- (ग) सड़क परिवहन सेवा मान्यता प्राप्त है यदि नहीं तो सड़क माईलेज की दरों पर राशि-

11. सङ्क क, ख, ग, घ के लिए प्रथम 400 कि.मी. व समूह 'घ' के लिए 160 कि.मी. का किराया घटाइए।
12. संख्या क्रमांक 11 पर गणना की गई राशि का 4/5 राशि रूपये-
13. अवकाश यात्रा रियायत हेतु अग्रिम की राशि-

कर्मचारी के हस्ताक्षर

#### घोषणा

1. मैं अग्रिम आहरण के 10 दिन के अंदर रेलवे टिकट पी. एन. आर./रसीद चार्टर्ड बस का टिकट प्रस्तुत कर दूँगा।
2. मैं व परिवार के सदस्य उसी श्रेणी में यात्रा करेंगे जिस श्रेणी के लिए अग्रिम का आवेदन दिया है।
3. यदि अग्रिम आहरण के 10 दिनों के अंदर यात्रा पर न जा सका तो आरक्षण प्राप्त कर सका तो अग्रिम की संपूर्ण राशि वापस कर दूँगा।
4. मैं अवकाश यात्रा रियायत के दावे से अधिक राशि जो अग्रिम में व्यय नहीं हुई हो, को कर्तव्य स्थान पर वापिस आते ही तत्काल वापस कर दूँगा।
5. कर्तव्य स्थान पर वापस आने के 30(तीस) दिनों के अंदर मैं अपना यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुत कर दूँगा।
6. यात्रा दावे के साथ रेल टिकट(रिजर्वेशन टिकट) की छायाप्रति दिनांक एवं बस टिकट की मूल प्रति प्रस्तुत करूँगा।
7. यात्रा दावे पर पी. एन. आर. नंबर एवं टिकट नंबर अंकित करूँगा।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

परिवार का विस्तृत विवरण:-

अवकाश स्वीकृति का विवरण

दिनांक.....से.....तक  
का आकस्मिक/अर्जित अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है।

वरिष्ठ/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/.....